संचिका सं.–03/SBM-01-24/2019 1923 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 17-7-19

विषय :– **माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. NO.-606/2018 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु भूमि उपलब्धता, कंपोस्ट पीट आदि के निर्माण एवं इससे से संबंधित उपकरण क्रय करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ करने की अंतिम तिथि दिनांक–15.07.2019 निर्धारित की गई है, परंतु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बहुत सारे नगर निकायों में अभी तक ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है और न ही प्रसंस्करण केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सका है। माननीय NGT के आदेश के अनुपालन एवं मुख्य सचिव, बिहार द्वारा तय किए गए समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से निदेश दिया जाता है कि जिन नगर निकायों में अभी तक उक्त कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो सका है, वे तत्काल विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए EOI के माध्यम से भूमि लीज पर लेने की कार्यवाई अविलम्ब आरंभ की जाए एवं कंपोस्ट पीट का निर्माण विभागीय रूप से पूर्ण करवाया जाए। साथ ही प्रसंस्करण से जुड़े उपकरण क्रय करते हुए प्रसंस्करण का कार्य तय समय सीमा के अन्दर प्रारंभ करना सुनश्चित किया जाए। यदि इस कार्य में नगर निकायों के बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति के अनुमोदन की आवश्यकता हो और उसमें किसी भी कारणवश विलंब हो रहा हो, तो इस हेतु बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति से बाद में घटनोत्तर स्वीकृति ली जा सकती है।

विश्वासभाजन,

16/7/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

E:\till October-SBM-SPMU-WORKS\PMU-Daily Letter-.Anil.docx363